बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झॉसी

पत्रांक– बु0वि0 / प्रशा0 / 2019 / [illegible] दिनांकः– 05/10/2019

सेवा में,

कुलपति / अध्यक्ष
कार्यपरिषद, बु0वि0वि0, झाँसी

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 20.09.2019 की कार्यवाही की प्रति संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

सादर!

संलग्नक–यथोक्त !

भवदीय

[signature]

सहा0कुलसचिव(प्रशा0)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,
झाँसी

कार्य परिषद्

की बैठक

दिनांक 20-09-2019
की कार्यवाही

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झाँसी

दिनांक 20.09.2019 को अपराह्न 03.00 बजे आयोजित कार्य परिषद् की बैठक की कार्यवाही –

उपस्थिति –

1. प्रो. जे. वी. वैशम्पायन – कुलपति / अध्यक्ष
2. प्रो. हरीभाउ गोपीनाथ खांडेकर – कुलाधिपति नामित सदस्य
3. डा. विजय खैरा – कुलाधिपति नामित सदस्य
4. प्रो. एस. पी. सिंह – सदस्य
5. प्रो. शिवकुमार कटियार – सदस्य
6. प्रो. आर. के. सैनी – सदस्य
7. डा. साधना कौशिक – सदस्य
8. डा. एन. एल. शुक्ला – सदस्य
9. डा. एस. आर. रजक – सदस्य
10. डा. सुशील बाबू – सदस्य
11. डा. मुन्ना तिवारी – सदस्य
12. डा. आलोक वर्मा – सदस्य
13. डा. रितु सिंह – सदस्य
14. डा. तारेश भाटिया – सदस्य
15. प्रो. एम. एम. सिंह – विशेष आमंत्री सदस्य
16. श्री आर. के. बिन्द – वित्त अधिकारी
17. श्री नारायण प्रसाद – कुलसचिव / सचिव

कार्यवाही –

सर्वप्रथम कुलपति ने परिषद् में चकानुकम में आगन्तुक नये सदस्यों (डा. साधना कौशिक, प्रो. एस. पी. सिंह, प्रो. आर. के. सैनी, डा. नन्द लाल शुक्ला, डा. सुशील बाबू, डा. एस. आर. रजक का परिचयोपरान्त स्वागत किया गया तथा शासन द्वारा नियुक्त नवीन वित्त अधिकारी श्री रामकृपाल बिन्द का भी परिषद् की प्रथम बैठक में स्वागत किया गया तथा कार्यकाल समाप्त होने वाले सदस्यों

(डा. डी. पी. गुप्त, प्रो. एम. एम. सिंह, प्रो. अर्चना वर्मा, डा. पूनम श्रीवास्तव, डा. सतेन्द्र सिंह, डा. बालकृष्ण पाण्डेय) के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

01. **कार्य परिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 26.03.2019 तथा आकस्मिक बैठक दिनांक 08.07.2019 की कार्यवाहियों की सम्पुष्टि पर विचार।**

परिषद् द्वारा सर्व सम्मति से अपनी पूर्व बैठकों दिनांक 26.03.2019 तथा आकस्मिक बैठक दिनांक 08.07.2019 की कार्यवाहियों की सम्पुष्टि की गई।

02. **प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 03.04.2019 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।**

परिषद् द्वारा प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 03.04.2019 की कार्यवाही का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

03. **परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 05.09.2019 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।**

परिषद् द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 05.09.2019 की कार्यवाही का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

04. **अनापत्ति समिति की बैठक दिनांक 12.04.2019 (जालौन, ललितपुर, बांदा), दिनांक 28.05.2019 (झाँसी, जालौन, बांदा, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर) दिनांक 22.06.2019 (महोबा, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, झाँसी) की कार्यवाहियों के अनुमोदन पर विचार।**

अनापत्ति समिति की बैठक दिनांक 12.04.2019 (जालौन, ललितपुर, बांदा), दिनांक 28.05.2019 (झाँसी, जालौन, बांदा, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर) दिनांक 22.06.2019 (महोबा, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, झाँसी) की कार्यवाहियों का परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

05. **सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 08.05.2019, 25.05.2019, 26.06.2019 एवं 30.06.2019 की कार्यवाहियों के अनुमोदन पर विचार।**

सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 08.05.2019, 25.05.2019, 26.06.2019 एवं 30.06.2019 की कार्यवाहियों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

06. **प्रबन्ध समिति के निर्वाचन में नियुक्त पर्यवेक्षक हेतु दिशा–निर्देशों का अनुमोदनार्थ परिषद के समक्ष प्रस्तुत।**

परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से प्रबन्ध समिति के निर्वाचन में नियुक्त पर्यवेक्षक हेतु दिशा–निर्देशों का अनुमोदन किया गया।

07. **श्री जी. के. नायक, सेवानिवृत्त, अनुभाग अधिकारी की विश्वविद्यालय के कार्यहित को दृष्टिगत रखते हुए सेवायें प्रदान करने के लिये समय विस्तारण हेतु परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

श्री जी. के. नायक, सेवानिवृत्त, अनुभाग अधिकारी की विश्वविद्यालय के कार्यहित को दृष्टिगत रखते हुए सेवायें प्रदान करने के लिये समय विस्तारण का परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया। साथ ही श्री नायक के अतिरिक्त श्री अशोक रिछारिया – सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक, श्री राजाराम वर्मा – सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक एवं श्री जगदीश साहू – सेवानिवृत्त दफ्तरी को विश्वविद्यालय के कार्यहित को दृष्टिगत रखते हुए सेवायें प्रदान करने के लिये समय विस्तारण का परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया।

08. **डा. सपना रानी, सहायक आचार्य (एस.एफ.एस.), जन्तु विज्ञान को एक वर्ष अवैतनिक अवकाश स्वीकृति सम्बन्धी निर्गत पत्र संख्या– बु.वि./ प्रशा./ 2019/1048–53 दिनांक 27.05.2019 के द्वारा निर्गत पत्र परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

डा. सपना रानी, सहायक आचार्य (एस.एफ.एस.), जन्तु विज्ञान के प्रार्थना पत्र दिनांक 03.05.2019 के द्वारा याचित शिव हर्ष किसान पी0जी0 कालेज, बस्ती में Assistant Professor (Zoology) पद पर चयनोपरान्त दिनांक 04.05.2019 से 03.05.2020 तक कुल एक वर्ष के अवैतनिक अवकाश को स्वीकृत किये जाने हेतु निर्गत विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु0वि0/प्रशा0/ 2019/1048–53 दिनांक 27.05.2019 को परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

09. **डा. हरीशंकर यादव, कार्यालय अधीक्षक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति एवं 50% ग्रेच्युटी की कटौती तथा श्री सत्य प्रकाश, नैत्यिक सहायक(एस.एफ.एस.) की सेवायें समाप्त करने सम्बन्धी विश्वविद्यालय के पत्र संख्या– बु.वि./ प्रशा./ 2019/1265–71 दिनांक 04.06.2019 के द्वारा निर्गत पत्र परिषद् के समक्ष सूचनार्थ।**

परिषद् उपर्युक्त पत्र से अवगत हुई।

10. **शहीद भगत सिंह साइंस महाविद्यालय, [illegible], जालौन की सम्बद्धता समाप्त किये जाने सम्बन्धी निर्गत पत्र संख्या– बु.वि./सम्ब./2019/581 दिनांक 18.06.2019 परिषद् के समक्ष सूचनार्थ।**

परिषद् उपर्युक्त पत्र से अवगत हुई।

11. **अभिनव प्रज्ञा महिला महाविद्यालय, [illegible] चण्डोत रोड, राठ, हमीरपुर की सम्बद्धता समाप्त किये जाने सम्बन्धी निर्गत पत्र संख्या– बु.वि./ सम्ब./ 2019/580 दिनांक 18.06.2019 परिषद् के समक्ष सूचनार्थ।**

परिषद् उपर्युक्त पत्र से अवगत हुई।

12. **श्री बालेन्द्र सिंह, सहायक आचार्य (एस.एफ.एस.), बायोटेक्नोलोजी विभाग को एक वर्ष के अवैतनिक अवकाश स्वीकृति सम्बन्धी निर्गत पत्र संख्या बु0वि0 / प्रशा0 / 2019 / 1494–99 दिनांक 18.06.2019 परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

श्री बालेन्द्र सिंह, सहायक आचार्य (एस.एफ.एस.), बायोटेक्नोलोजी विभाग के प्रार्थना पत्र दिनांक 18.06.2019 के द्वारा याचित **भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन बायोटेक्नोलोजी विभाग में Scientist-C** पद पर कार्य भार ग्रहण करने हेतु दिनांक 18.06.2019 से 17.06.2020 तक कुल एक वर्ष के अवैतनिक अवकाश को स्वीकृत किये जाने हेतु निर्गत विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु0वि0 / प्रशा0 / 2019 / 1494–99 दिनांक 18.06.2019 का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

13. **डा0 सिन्ड्रेला एन्थोनी, सहायक आचार्य (एस.एफ.एस.), फिजियोथेरेपी विभाग को 06 माह के अवैतनिक अवकाश स्वीकृति सम्बन्धी निर्गत पत्र संख्या–बु0वि0 / प्रशा0 / 2019 / 2010–17 दिनांक 25.07.2019 परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

डा. सिन्ड्रेला एन्थोनी, सहायक आचार्य (एस.एफ.एस.), फिजियोथेरेपी विभाग के प्रार्थना पत्र दिनांक 27.06.2019 के द्वारा Education Degree Upgrade हेतु याचित दिनांक 01.07.2019 से 31.12.2019 तक कुल 06 माह के अवैतनिक अवकाश को स्वीकृत किये जाने हेतु निर्गत विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु0वि0 / प्रशा0 / 2019 / 2010–17 दिनांक 25.07.2019 का परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया।

14. **श्री दीपक कुमार पुत्र स्व. श्री विनोद कुमार की मृतक आश्रित के रूप में नैत्यिक सहायक के नियमित पद पर की गई नियुक्ति सम्बन्धी निर्गत पत्र संख्या– बु0वि0 / प्रशा0 / 2019 / 2186 – 90 दिनांक 01.08.2019 परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

श्री दीपक कुमार की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु0वि0 / प्रशा0 / 2019 / 2186–90 दिनांक 01.08.2019 का परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

15. **श्री नरेन्द्र राजपूत पुत्र स्व. श्री हाकिम सिंह की मृतक आश्रित के रूप में नैत्यिक सहायक के नियमित पद पर की गई नियुक्ति सम्बन्धी निर्गत पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2019/2181–85 दिनांक 01.08.2019 परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

श्री नरेन्द्र राजपूत की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2019/2181–85 दिनांक 01.08.2019 का परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

16. **श्री उदय प्रताप सिंह पुत्र स्व. श्री मनोज सिंह गुर्जर, की मृतक आश्रित के रूप में नैत्यिक सहायक के नियमित पद पर की गई नियुक्ति सम्बन्धी निर्गत पत्र संख्या बु0वि0 / प्रशा0 / 2019 / 2176–80 दिनांक 01.08.2019 परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

श्री उदय प्रताप सिंह की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत विश्वविद्यालय का पत्र संख्या बु0वि0 / प्रशा0 / 2019 / 2176–80 दिनांक 01.08.2019 का परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

17. **डा. श्रीहरि त्रिपाठी, सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग को दो वर्ष के अवैतनिक असाधारण अवकाश स्वीकृति सम्बन्धी निर्गत पत्र संख्या– बु0वि0 / प्रशा0 / 2019 / 2277 दिनांक 06.08.2019 परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

डा. श्रीहरि त्रिपाठी, सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग के प्रार्थना पत्र दिनांक 06.08.2019 के कम में **जय प्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, सारण, बिहार में सहायक आचार्य** के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 07.08.2019 से 06.08.2021 तक कुल दो वर्षो का अवैतनिक असाधारण अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु निर्गत विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु0वि0 / प्रशा0 / 2019 / 2277 दिनांक 06.08.2019 का परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया।

18. **डा0 हरीशंकर यादव, कार्यालय अधीक्षक द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति एवं 50% ग्रेच्युटी की कटौती किये जाने के विरूद्ध विश्वविद्यालय परिनियमावली 2.07 के अन्तर्गत अपनी अपील को अनुशासन समिति के समक्ष रखे जाने के सम्बन्ध में परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।**

डा0 हरीशंकर यादव, कार्यालय अधीक्षक द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति एवं 50% ग्रेच्युटी की कटौती किये जाने के विरूद्ध विश्वविद्यालय परिनियमावली 2.07 के अन्तर्गत की गई अपील पर परिषद् द्वारा विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालीय परिनियमावली में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुशासन समिति का गठन किया गया–

1. कुलपति – अध्यक्ष
2. प्रो. हरीभाउ गोपीनाथ खांडेकर – सदस्य
3. प्रो. एस. पी. सिंह – सदस्य

19. **प्रो. अवनीश कुमार, आचार्य, गणितीय विज्ञान एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग विभाग, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झॉसी को पूर्व में प्रदत्त असाधारण अवकाश आगामी दो वर्षों (05.02.2022) तक विस्तारित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय का पत्र संख्या बु.वि. / प्रशा. / 2019 / 2719–25 दिनांक 30.08.2019 परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

प्रो. अवनीश कुमार, आचार्य, गणितीय विज्ञान एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग विभाग, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झॉसी को पूर्व में प्रदत्त असाधारण अवकाश आगामी दो वर्षों (05.02.2022) तक विस्तारित किये जाने हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.05.2019 के कम में विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या बु.वि. / प्रशा. / 2019 / 2719–25 दिनांक 30.08.2019 का परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

20. **डा. ओमप्रकाश सिंह, सहायक आचार्य (एस.एफ.एस.) विधि संस्थान, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झॉसी द्वारा अपने पद से दिये गये त्याग पत्र को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2018/861–66 दिनांक 15.05.2019 स्वीकृत किया गया। पत्र परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

डा. ओमप्रकाश सिंह, सहायक आचार्य (एस.एफ.एस.) विधि संस्थान, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झॉसी द्वारा अपने पद से दिये गये त्याग पत्र दिनांक 27.04.2019 को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2018/861–66 दिनांक 15.05.2019 द्वारा स्वीकृत किये जाने का परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

अनुपूरक कार्यसूची की कार्यवाही

(1) **दिनांक 26 सितम्बर 2019 को आयोजित होने वाले 24वें दीक्षांत समारोह के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा ।**

अध्यक्ष द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि दिनांक 26.09.2019 को माननीया कुलाधिपति महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी द्वारा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झॉसी के 24वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता हेतु कृपापूर्ण अनुमति मिलने के उपरान्त विश्वविद्यालय परिवार विश्वविद्यालय परिसर में उनके प्रथम आगमन पर गौरवान्वित अनुभव कर रहा है तथा दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किये जाने हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इसके अतिरिक्त यह भी हर्ष का विषय है कि प्रो. एस. बी. निमसे, पूर्व कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय एवं स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय मुख्य अतिथि होंगे। दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदकों के साथ विभिन्य संस्थाओं / व्यक्तियों द्वारा अनुदानित विन्यासीकृत पदक एवं प्रमाण पत्र प्रदान किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 की उपाधियां वितरित की जायेंगी। कार्यक्रम प्रातः 11:00 बजे से मध्याह्न 1:00 बजे तक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह पण्डाल में आयोजित होगा।

(2) **प्रो. रोचना श्रीवास्तव के पेंशन भुगतान के प्रकरण के सम्बन्ध में प्राप्त विधिक राय पर विचार विमर्श।**

प्रो. रोचना श्रीवास्तव के पेंशन भुगतान के प्रकरण के सम्बन्ध में परिषद् द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रो. रोचना की सेवायें विश्वविद्यालय में 10 वर्ष से कम रही हैं अतः उनके सम्बन्ध में शासन से उचित दिशा निर्देश प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया जाये। इस हेतु कुलसचिव को अधिकृत किया गया।

(3) **दिनांक 18 मार्च 2017 की घटना के क्रम में परिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 20.02.2018 द्वारा श्री उमेश करौरिया – निलम्बित नैत्यिक सहायक के प्रकरण पर गठित अनुशासन समिति की संस्तुति का बन्द लिफाफा परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।**

दिनांक 18 मार्च 2017 की घटना के क्रम में परिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 20.02.2018 द्वारा श्री उमेश करौरिया – निलम्बित नैत्यिक सहायक के प्रकरण पर गठित अनुशासन समिति की संस्तुति का बन्द लिफाफा परिषद् के समक्ष खोला गया। परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि दिनांक 18.03.2017 की घटना की पूर्व में तीन वाह्य सदस्यों (जस्टिम एस. सी. वर्मा, श्री जे. पी. सिंह, प्रो. पद्मकांत) द्वारा की गई थी जिसकी जांच की आख्या पर परिषद् द्वारा अपनी पूर्व बैठक 20.02.2018 में की गई कार्यवाही एवं श्री उमेश करौरिया – निलम्बित, नैत्यिक सहायक कैं प्रकरण पर अनुशासन समिति गठित की गई। अनुशासन समिति की आख्या दिनांक 04.08.2018 की संस्तुति एवं पूर्व में तीन वाह्य सदस्यों (जस्टिम एस. सी. वर्मा, श्री जे. पी. सिंह, प्रो. पद्मकांत) द्वारा की गई जांच की आख्या की परिषद् के सभी सदस्यों को प्रेषित की जाये जिससे प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार किया जा सके।

(4) **विश्वविद्यालय के नियमित शैक्षणिक विभागों के शिक्षकों द्वारा पाठ्यक्रम समिति, शोध समिति में समन्वयकों की नियुक्ति को विभागाध्यक्षों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश के अनुरूप चक्रानुक्रम में किये जाने हेतु दिया गया प्रत्यावेदन परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।**

परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के नियमित शैक्षणिक विभागों के शिक्षकों द्वारा पाठ्यक्रम समिति, शोध समिति में समन्वयकों की नियुक्ति को विभागाध्यक्षों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश के अनुरूप चक्रानुक्रम में किये जाने हेतु दिया गया प्रत्यावेदन पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि चक्रानुक्रम में विभागाध्यक्ष ही पाठ्यक्रम समिति, शोध समिति का समन्वयक होगा।

(5) **'कृषि संकाय की सम्बद्धता हेतु महाविद्यालय के मुख्य भवन से कृषि प्रायोगिक फार्म की दूरी अधिकतम 03 किलोमीटर निर्धारित किये जाने का परिषद् द्वारा अनुमोदन किये जाने हेतु प्रस्तुत।**

परिषद् द्वारा कृषि संकाय की सम्बद्धता हेतु महाविद्यालय के मुख्य भवन से कृषि प्रायोगिक फार्म की दूरी पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्व सम्मति से अधिकतम 05 किलोमीटर निर्धारित किये जाने का अनुमोदन किया गया।

(6) **स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों का अन्यत्र चयन होने जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा दिये जाने वाले त्यागपत्र को स्वीकार किये जाने के क्रम में वर्तमान में सम्बन्धित शिक्षक को तीन माह के मानदेय धनराशि अथवा त्याग पत्र दिये जाने की तीन माह पूर्व सूचना दिये जाने का प्रावधान है। उक्त पर निर्णय हेतु परिषद् के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत।**

परिषद् द्वारा स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों का अन्यत्र चयन होने जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा दिये जाने वाले त्यागपत्र को स्वीकार किये जाने के क्रम में वर्तमान में सम्बन्धित शिक्षक को तीन माह के मानदेय धनराशि अथवा त्याग पत्र दिये जाने की तीन माह

पूर्व सूचना दिये जाने का प्रावधान को संशोधित करते हुये इसे एक माह की पूर्व सूचना अथवा एक माह का मानदेय धनराशि विश्वविद्यालय में जमा कराये जाने का अनमोदन किया गया है।

(7) **विश्वविद्यालय के शिक्षक कल्याण कोष (TWF) हेतु वर्तमान में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों से भी धनराशि की कटौती की जाती है। परन्तु उन्हें उपर्युक्तम कोष से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहे है। अतः प्रकरण परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।**

परिषद् को सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय के शिक्षक कल्याण कोष (TWF) हेतु वर्तमान में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों से भी धनराशि की कटौती की जाती है परन्तु उन्हें उपर्युक्त कोष से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहे है। अतः परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मानदेय से भविष्य में शिक्षक कल्याण कोष (TWF) हेतु किसी भी प्रकार की कटौती न की जाये।

(8) **वित्त समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 20.09.2019 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।**

परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से वित्त समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 20.09.2019 की कार्यवाही के निम्नलिखित बिन्दुओं का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया।

(1) **दिनांक : 06.07.2019 को सम्पादित वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।**

दिनांक : 06.07.2019 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।

(2) **स्व-वित्त पोषित योजनान्तर्गत कार्यारत शिक्षक/शिक्षणेतर वर्ग के मानदेय पुनरीक्षण हेतु गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार।**

विश्वविद्यालय में स्व-वित्त पोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेतर वर्ग के मानदेय पुनरीक्षण हेतु गठित समिति की संस्तुतियां दिनांक 19.09.2019 समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति द्वारा निम्नानुसार अनुमोदन की संस्तुति प्रदान की गयी।

1. ऐसे शिक्षक वर्ग जिनकी सेवा की अवधि 10 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उनके मानदेय में प्रस्तावित 12 प्रतिशत की वृद्धि अनुमन्य की जाती है।
2. ऐसे शिक्षक वर्ग जिनकी सेवा की अवधि तीन से 10 वर्ष की है उनके मानदेय में प्रस्तावित 8 प्रतिशत की वृद्धि अनुमन्य की जाती है।
3. ऐसे शिक्षक वर्ग जिनकी सेवा की अवधि 3 वर्ष से कम है उनका मानदेय में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाती है।
4. ऐसे शिक्षणेतर वर्ग जिनकी सेवा की अवधि 10 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उनके मानदेय में प्रस्तावित 14 प्रतिशत की वृद्धि अनुमन्य की जाती है।
5. ऐसे शिक्षणेतर वर्ग जिनकी सेवा की अवधि तीन से 10 वर्ष की है उनके मानदेय में प्रस्तावित 10 प्रतिशत की वृद्धि अनुमन्य की जाती है।
6. ऐसे शिक्षणेतर वर्ग जिनकी सेवा की अवधि 3 वर्ष से कम है उनका मानदेय में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाती है।
7. शिक्षण सहायकों के मानदेय में प्रस्तावित 10 प्रतिशत की वृद्धि अनुमन्य की जाती है, तद्नुसार अधिकतम सीमा में भी 10 प्रतिशत की वृद्धि अनुमन्य होगी।
8. एस.एफ.एस. के ऐसे कर्मचारी जो शिक्षक वर्ग के समान मानदेय प्राप्त कर रहे हैं, उनकी मानदेय वृद्धि शिक्षक वर्ग के अनुसार होगी।

9. उपरोक्त वृद्धि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में दिनांक 31 मार्च, 2019 को पूर्ण की गयी सेवा अवधि के अनुसार अनुमन्य होगी। अतएव सेवा गणना का दिनांक 31 मार्च निर्धारित किया जाता है।

10. एस.एफ.एस. शिक्षकों को प्रति वर्ष अनुमन्य चिकित्सा/विशेषाधिकार अवकाशों को अधिकतम 03 वर्ष तक के लिये संचित करने का प्रावधान अनुमन्य किया जाता है।

11. एस.एफ.एस. शिक्षक जिनका चयन Ph.D. करने हेतु चयन हो गया है उनको एक वर्ष का आधा मानदेय दिये जाने का प्रावधान इस शर्त पर अनुमन्य किया जाता है कि वह पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त होने के उपरान्त विश्वविद्यालय में पुनः कार्यभार ग्रहण करने पर आधे मानदेय भुगतान प्राप्त करने के लिये अर्ह होंगे तथा आगामी तीन वर्षों तक विश्वविद्यालय की सेवा में रहेंगे।

12. एस.एफ.एस. शिक्षक/कर्मचारी जब वो उपरोक्त 1 से 6 के अनुसार सेवाकाल पूर्ण कर लेंगे तब वह उक्त बिन्दुओं में की गयी मानदेय वृद्धि के लिये अर्ह होंगे। मानदेय वृद्धि मार्च माह के उपरान्त आगामी माह में होने वाली वित्त समिति की बैठक के अनुमोदन के उपरान्त ही अनुमन्य होगी।

13. उपरोक्त मानदेय वृद्धि पर आने वाले व्ययभार को आगामी सत्र में एफ.एफ.एस. पाठ्यक्रमों की शुल्क में 20 प्रतिशत तक वृद्धि कर वहन किया जायेगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम में कितनी वृद्धि होगी का निर्णय वित्त समिति द्वारा किया जायेगा।

14. जिन पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीट से कम प्रवेश हैं उन पाठ्यक्रमों के समन्वयक प्रवेश बढ़ाने का प्रयास करेंगें।

15. समिति द्वारा आर्कीटेक्चर विभाग में रिक्त 20 सीटों पर प्रवेश हेतु नये शिक्षकों के चयन के प्रस्ताव को समिति द्वारा स्वीकार किया गया।

16. उक्त प्रस्तावित वृद्धि दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी होगी, जिसका नकद भुगतान सितम्बर,19 देय अक्टूबर,19 के वेतन के साथ किया जायेगा। अप्रैल,19 से अगस्त, 19 तक के एरियर का भुगतान आगामी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

17. प्रो. एस.पी. सिंह, निदेशक अकादमिक एवं समन्वयक, शोध सैल द्वारा दिये गये प्रस्ताव कि विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 एवं संशोधित शोध अध्यादेश, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी – 2017 के आलोक में Ph.D. पाठ्यक्रम के तृतीय एवं चतुर्थ बैच के शोधार्थियों की शोध ग्रन्थ जमा करने की न्यूनतम अवधि 18 माह के स्थान पर 30 माह विस्तारित हो जाने के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित शोध केन्द्र मासिक शुल्क रू0 1,000/– प्रतिमाह की दर से शोध अवधि के अनुसार अधिकतम 30 माह तक मासिक शोध शुल्क लिये जाने की संस्तुति समिति द्वारा प्रदान की गयी। इसके साथ–साथ आगामी पंजीकृत होने वाले शोधार्थियों से उपरोक्त शोध अवधि के अनुसार ही शोध केन्द्र मासिक शुल्क लिया जायेगा।

स्ववित्त पोषित योजना के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के मानदेय की उपर्युक्त वृद्धि हेतु परिषद् द्वारा कुलपति एवं वित्त अधिकारी को [illegible] गई।

(9) डा. पी. जे. रत्नाकर – सहायक आचार्य, भू विज्ञान विभाग, द्वारा अपने पद से दिये गये त्यागपत्र दिनांक 16.09.2019 की स्वीकृति पर विचार।

परिषद् द्वारा डा. पी. जे. रत्नाकर – सहायक आचार्य, भू विज्ञान विभाग, द्वारा अपने पद से दिये गये त्यागपत्र दिनांक 16.09.2019 को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक सम्पन्न हुई।

20.9.19

(नारायण प्रसाद)
कुलसचिव

(प्रो. जे. वी. वैशम्पायन)
कुलपति